"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2011—श्रावण 28, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-7/2008/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के उप खंड (2) के अंतर्गत श्री बी. एल. ठाकुर, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर, 62 वर्ष आयु पूर्ण करने के कारण दिनांक 23-08-2011 को (अपरान्ह) अपने पद से मुक्त होंगे.

Raipur, the 19th August 2011

NOTIFICATION

No. F 6-7/2008/1/One.—Under clause (2) of the Article 316 of the Constitution of India Shri B. L. Thakur, Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission, Raipur shall cease to hold the office on the afternoon of 23-08-2011 on completion the age of 62 years.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.